न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 10/2017 (76 एल .आर. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00106

उनवान

1. मझले
2. देवीचरन
3. हलुका
4. मुन्ना

पुत्रगण बनिया जाति मीना नि0 खानपुर मैना तहसील बाडी जिला धौलपुर

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी जिला धौलपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 14.12.2016 प्र.संख्या 68/2016 उनवानी मझले बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री मोहन सिंह राणा उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक– 21.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 14.12.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार बाडी ने आराजी खसरा नंबर 1484 रकवा 02 विस्वा पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने एवं तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के समक्ष की गई।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.12.2016 से अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की गई कि अपीलाण्ट तहसीलदार बाडी के समक्ष निर्णय दिनांक से 15 दिवस के अन्दर इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करे कि उन्होनें विवादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में पुनः राजकीय भूमि पर नाजायज कब्जा नहीं करेगा। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे अपीलार्थीगण को अतिक्रमी अथवा पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जा सके। अपीलार्थीगण को जिस भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया है वह कृषि भूमि नहीं है बल्कि आबादी भूमि है जो धारा 5(24) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 03(बी) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित भूमि की संज्ञा में नहीं आती है। इसलिये हर दो आदेश तहत अधिकार क्षेत्र से परे होने के कारण शून्य होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 1484 काफी बडा रकवा है जिसमें पूरे नम्बर में ग्राम खानपुर मीना की पुरानी बस्ती बसी हुई है अपीलार्थीगण के पूर्वजो द्वारा बनाया हुआ कुँआ बना है तथा मौके पर तथाकथित रास्ता भी लगभग 20 फुट चौडा है, जो आवागमन के लिये पर्याप्त है। इस प्रकार अपीलार्थीगण का किसी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण के दादा को ग्राम पंचायत खानपुर ने आवास हेतु दिनांक 22.10.1983 को पट्टा किया है और तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि का विक्रय विलेख अपीलाण्ट के दादा के हक में जारी किया है एवं पक्का मकान निर्माण करने हेतु स्वीकृति भी जारी है। विवादित भूखण्ड के सम्बंध में एक दीवानी वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा समक्ष सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मतानुसार मूल दावे की उपस्थिति में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2015(1) पेज 562, आरआरडी अक्टूबर 2002 पेज 583, 1976 पेज 9 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि विवादित भूमि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है। जिस पर अपीलाण्ट बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। अतः अपीलाण्ट एक पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। इस बात की

सत्यमेव जयते
Web copy - Not Official

पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से साबित होती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, पूर्णरूपेण सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलाण्ट विवादित भूमि को आबादी की भूमि होना बताता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 140 ''प्रविष्टियों के रूप में अनुमान'' के तहत यह अंकन तब तक सही माना जावेगा, जब तक कि इसे गलत सिद्ध नही किया जावें। अपीलाधीन प्रकरण में ऐसा कोई साक्ष्य नही है, जो इस अंकन को चुनौती देता हो। अपीलाण्ट का यह कथन कि ग्राम पंचायत खानपुर मीना ने उनके दादा रामदल को आवास हेतु पट्टा किया था, अर्थहीन है। नियमानुसार पंचायत को सिवायचक भूमि में पट्टा करने के अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत केवल आबादी भूमि में ही पट्टा जारी कर सकती है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत कथित पट्टे में खसरा नम्बर अंकित नहीं होने के कारण, उक्त पट्टा अपीलाधीन भूमि का ही है यह तथ्य भी सिद्ध नहीं माना जा सकता। इस विवेचना अनुसार कथित निर्माण स्वीकृति भी प्रस्तुत अपील में प्रासंगिक नहीं है।

6. जहॉ तक अपीलाण्ट का विवादित भूखण्ड के संबंध में दीवानी वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा, सिविल न्यायालय में विचाराधीन रहने का प्रश्न है, हम पाते हैं कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 259 में प्रावधान हैं कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले तथा प्रावधित किसी मामले के विषय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी व्यवहार न्यायालय में नहीं हागी या प्रस्तुत नहीं की जावेगी। प्रस्तुत प्रकरण भू राजस्व अधिनियम अंतर्गत है। अतः सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित है। इसके अलावा न्यायालय जिला कलक्टर की पत्रावली में संलग्न वाद पत्र अनुसार सिविल दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा रैस्पो0 के विरूद्ध नहीं अपितु गॉव के अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध है। दावा की विषयवस्तु, विवादित भूमि(आबादी) की बताई गई है। अतः अपीलाधीन प्रकरण पर उक्त सिविल दावे का कोई प्रभाव नहीं पडता। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाडी ने अपने निर्णय में विवेचना की है अपीलाण्ट ने गै0 मु0 रास्ता पर झोंपडी एवं एक तरफ दीवार 40 फुट डालकर अतिक्रमण किया है एवं निर्णय नायब तहसीलदार बाडी दिनांक 26.02.2016 से भी स्पष्ट है कि अतिक्रमियों द्वारा पूर्व में बेदखल किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त स्वयं अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाडी के समक्ष दिनांक 29.07.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 08.08.2016 तक विवादग्रस्त आराजी से अतिक्रमण हटाने का समय चाहा है। यह अपीलाण्ट की स्वीकारोक्ति है, जो विवादित आराजी पर अतिक्रमण को सन्देह से परे सिद्ध करती है एवं बचाव में रखे गये तर्को को ध्वस्त करती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नायब तहसीलदार बाडी के आदेश दिनांक 26.02.2016 मुकदमा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नम्बर 107/15 से भी स्पष्ट है कि अपीलाण्ट को विवादित आराजी से पूर्व में भी बेदखल किया जा चुका है। अतः अपीलाण्ट पश्चात्वर्ती की श्रेणी में ही आता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाडी ने उचित रूप से पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर उनके विरूद्ध 91 भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरे वर्तमान प्रकरण में चस्पा नहीं होती हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील में कोई बल नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर के निर्णय दिनांक 14.12.2016 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official